भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –3182
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नाविकों के साथ उचित व्यवहार

3182. **कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशी जेलों में बंदी बनाए गए भारतीय नाविकों का ब्यौरा क्या है और उनके मामलों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत सरकार "नाविकों के साथ उचित व्यवहार" पर आईएमओ अभिसमय के समक्ष अपना मुद्दा उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2020 से 2024 तक व्यापारिक जहाजों पर सेवा के दौरान लापता या मृत बताए गए भारतीय नाविकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीड़ित परिवारों को अब तक जारी किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है तथा इससे संबंधित कितने दावे अभी तक निपटाए नहीं गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशी जेलों में कैद भारतीय नाविकों का विवरण अनुबंध–क पर दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार "नाविकों के उचित व्यवहार" के संबंध में आईएमओ कन्वेंशन के अनुरूप नाविकों के साथ उचित व्यवहार का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रही है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:–

i. ध्वज और बंदरगाह राष्ट्रों के साथ संपर्क: इन मामलों को ध्वज राष्ट्र (जिस देश के झंडे के तहत जलयान पंजीकृत है) और बंदरगाह राष्ट्रों (उन देशों जहां जहाज को डॉक या हिरासत में लिया गया है) के साथ उठाया जाता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जहाज मालिक और संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति (पीएंडआई) क्लब (समुद्री देयता के लिए बीमा प्रदाता) नाविकों के समक्ष आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

ii. भारतीय मिशनों के माध्यम से कोंसली एक्सेस: विदेश स्थित भारतीय मिशन संकट में नाविकों को समय पर कोंसली एक्सेस और सहायता प्रदान करते हैं। इसमें नाविकों को कानूनी सहायता, परिवार के साथ संपर्क और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।

iii. आईएमओ परिषद सत्रों के साथ संपर्क: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद के 132 वें सत्र के दौरान, विभिन्न बंदरगाह राष्ट्रों को नाविकों के साथ उचित व्यवहार से संबंधित मसलों पर चर्चा करने और हल करने के लिए शामिल किया गया है। यह संपर्क अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आईएमओ कन्वेंशन का पालन सुनिश्चित करता है।

iv. विदेशी राजदूतों और प्रधान कोंसलावासों के साथ बैठकें: बैठकें ऐसे संबंधित बंदरगाह राष्ट्रों के राजदूतों और कोंसलावासों के साथ आयोजित की जाती हैं, जहां भारतीय नाविकों को हिरासत में लिया जाता है या जेल में रखा जाता है। इन राजनयिक संपर्कों का उद्देश्य ऐसे मामलों के समाधान में तेजी लाना और उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है।

v.मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करना: नाविकों की हिरासत या अनुचित व्यवहार से जुड़े मामलों से व्यवस्थित रूप से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है। यह एसओपी कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करता है और ऐसी घटनाओं के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।

vi. सुरक्षा वीडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान: सरकार नाविकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता और सुरक्षा वीडियो का प्रसार सुनिश्चित करती है। इन वीडियो का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अनुचित व्यवहार की घटनाओं को रोकना है।

vii. नाविकों के अधिकारों के संबंध में पुस्तिकाओं का प्रकाशन: समुद्री श्रम सम्मेलन 2006 और मर्चेंट शिपिंग (समुद्री श्रम) नियम 2016 के तहत नाविकों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करने के लिए पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। ये पुस्तिकाएं नाविकों को उनके अधिकारों को समझने और उनका दावा करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती हैं।

viii. गैर–अनुपालित भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई: मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम 2016 का उल्लंघन करने वाली नाविक भर्ती कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, छलपूर्ण कार्य करने वाली आरपीएसएल कंपनियों के विरुद्ध, 2024 के मर्चेंट शिपिंग नोटिस 11 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि नाविकों को शोषण से बचाते हुए अनुपालन और नैतिक भर्ती परिपाटियों का ही पालन किया जाए।

मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 तक मर्चेंट जहाजों पर सेवा के दौरान लापता या मृत पाए गए भारतीय नाविकों का विवरण अनुबंध ख में दिया गया है।

*****

अनुबंध क

देश	वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद भारतीय नाविकों की संख्या
चीन	4
कोत दी आइवर	2
यूनान	6
ईरान	58
इटली	3
लेबनान	1
मॉरीशस	2
कतर	3
सेनेगल	4
त्रिनिदाद और टोबैगो	2
यमन	1

*****

अनुबंध ख

क्र.सं	वर्ष	लापता या मृत पाए गए भारतीय नाविकों की संख्या
1.	2020	58
2.	2021	89
3.	2022	86
4.	2023	88
5.	2024	36

*****